11-5-66

राजस्व लोक अदालत नाम अलग
कर के नोटिस जारी होने के
बाद पत्रावली आज राजस्व
लोक अदालत अलवर बैठा कर
ग्राम पं० फुलेता पर पेश हुई।
प्रार्थी के प्रतिनिधि श्री राजा उपस्थित।
प्रार्थी का मूल वाद डिक्री
हो जाने से इस प्रार्थना के
चलने का कोई औचित्य नहीं
है अतः प्रार्थी का प्रार्थना
खारिज किया जाता है। पत्रावली
अंतरण कार्य होकर नकल के कम
है तथा शामिल मूल वाद है

राजेन्द्र

मुकेश

Scanned by CamScanner